<u>न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0ः–132/2021</u>

किशुन चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पिन्टु चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
05.07.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 26.04.2024 अंतर्गत आदेश 09 नियम 07 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** प्रतिवादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 26.04.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में निर्गत सम्मन, डाक सम्मन एवं अन्य कोई जानकारी प्रतिवादीगण को नहीं हो पायी। यह कि गाँव में प्रस्तुत वाद में गवाही होने से संबंधित बातचीत प्रतिवादीगण ने सुना तब प्रतिवादीगण को मालूम चला कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादीगण के द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर किया गया है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय में आकर खोजबीन किया तो उन्हें प्रस्तुत वाद से संबंधित जानकारी हुई तब जाकर प्रतिवादीगण न्यायालय में अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 12.03.2024 को बयान तहरीरी के साथ उपस्थित हुए। अभिलेख को देखने से पता चला कि न्यायालय आदेश दिनांक 22.12.2023 के द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश की कार्यवाही की जा चुकी है। यह कि प्रतिवादीगण देहात का अनपढ एवं गवार व्यक्ति है, जो केवल अपना हस्ताक्षर करना जानता है। प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी नही थी, जिस कारण प्रतिवादीगण समय से वाद में उपस्थित नहीं हो सके। प्रतिवादीगण वाद में संघर्ष करना चाहते है। लेहाजा आदेश दिनांक 22.12.2023 को न्यायहित में वापस लेकर प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण किया जाय अन्यथा प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी तथा प्रतिवादीगण न्याय से वंचित हो जायेगें। वादीगण की ओर से प्रतिवादीगण के आवेदन का प्रत्युत्तर दिनांक 17.05.2024 को दाखिल कर कहा गया कि	

<u>न्यायालय–अवर न्यायाधीश द्वितीय, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0:–132/2021</u>

किशुन चौधरी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

पिन्टु चौधरी एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 05.07.2024	प्रतिवादीगण का आवेदन तथ्य एवं कानून के दृष्टिकोण से पोषणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादीगण को वाद की जानकारी होने के बावजूद भी प्रस्तुत वाद में समय से उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण का मंशा केवल वादीगण को परेशान करने का है। अतः आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादीगण के उपस्थिति हेतु न्यायालय का समस्त प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 22.12.2023 को वाद एक पक्षीय कार्यवाही हेतु नियत किया गया। दिनांक 12.03.2024 को प्रतिवादीगण वाद में उपस्थित होकर अपना बयान तहरीरी दाखिल किये है। विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी वाद का निस्तारण उभय पक्षों को सुनकर किया जाना चाहिए। जिससे वाद का निस्तारण अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। चूँकि प्रतिवादीगण वाद में उपस्थित होकर संघर्ष करना चाहते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 26.04.2024 को मो0–2000/– रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है तद्नुसार दिनांक 22.12.2023 को पारित प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश को वापस लेकर बयान तहरीरी ग्रहण किया जाता है। आगामी दिनांक 30.07.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु। लेखापित अवर न्यायाधीश, द्वितीय नरकटियागंज	